11/10/25 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। प्रा. पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीयान द्वारा प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया की विवादित आराजी ख.नं. 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4478 से 4483 कस्बा करौली में स्थित है। जिस पर गैर सायल और मानूनी तरीके से उनके हिस्से में व्यवधान पैदा कर रहे है। अतः उन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को तलब किया गया। और सायलान ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। प्रा. पत्र में प्रार्थी अधि. की एकतरफा बहस सुनी गई। अप्रार्थी ने अपने जवाब में लिखा है कि उनके द्वारा किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है और न ही कोई व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रा. पत्र को ही बहस मानकर निर्णय हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली के समग्र अवलोकन के पश्चात [illegible] का प्रा. पत्र [illegible] न ही न तो प्रथम दृष्टया [illegible], सुविधा का संतुलन व [illegible] क्षति [illegible] होना साबित होता है। इस कारण न्यायालय [illegible] प्रा. पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:47:53 IST
Reason: SelfAttested